

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 662 /330/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	एम.बी. खालसा एजुकेशन सोसायटी इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	एम.बी. खालसा लॉ कालेज इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.A LLB (First Year) (Honours)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	LLB, LLM

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनिर्णय 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


(~~डॉ० जयदीप चन्द्र जटिया~~)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पू०कमांक 663 / 30 / आउशि / संबद्धता / 2018

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोतीतबेला इंदौर (अग्रणी) म०प्र०.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

कमांक 666 / 164 / आउशि / संबद्धता / 2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई हैं

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं / समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र / दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम / विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री अम्बिका पाटीदार धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री उमिया कन्या महाविद्यालय रंगवासा राउ इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम / विषय	P.G. Diploma in Fashion Design & Marketing
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम / विषय	B.Sc. Micro, B.Sc. Biotech, B.Sc. (CS), B.Sc. (IT) B.Sc. (Seed) B.Sc. (Plain), M.Sc. (Zoology), M.Sc. (Micro) M.Sc. (CS) M.Sc. Chemistry, B.Com Plain, B.Com Computer Application, B.Com (Tax) M.Com, BBA, B.A, P.G. D.C.A

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)


अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०मांक 667/164/आउशि/संबद्धता/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म०प्र०.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 652/186/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	इण्डो एजुकेशन एण्ड सर्विसेस सोसायटी इंदौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	आई.पी.एस. अकादमी झाबुआ
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.Sc Botany Chemistry Zoology (First Year) B.Sc. Add.Subject Biotechnology (First Year) B.Sc. (Botany Horticulture seed Technology (First Year)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	निरंक

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० रामदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०मांक 653 / 186 / आउशि / संबद्धता / 2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म०प्र०।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 642/45/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कम्पनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनके नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. कम्पनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	कम्पनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	विजयवर्गीय पब्लिक एजुकेशन सोसायटी श्योपुर
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अस्ट्राल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इन्दौर

4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	B.Com Plain (First Year) Additional Subject : Computer Application B.Sc (First Year) Physics, Mathematics, Chemistry Additional Subject : Computer Science, Biotechnology B.B.A (First Year)
---	---	---

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

पृ०कमांक 643 / 45 / आउशि / संबद्धता / 2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म०प्र०.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 22/75/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई हैं

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	नूतन शिक्षण समिति इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	टैगोर शिक्षा महाविद्यालय इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.A, LLB (Five Year) (First Year) B.B.A (Honours) (First Year) PG Diploma One Year (Fashion Designing and Marketing) (First Year) M.Com (Previous) (First Year) B.Com (Honours) (First Year)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	BBA, B.Com, BCA, (B.Com Computer Application) PG Diploma in Computer Application, M.Sc.Mathematics, MSW, M.Sc Computer Science

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिणियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पू0कमांक 23 /75/आउशि/संबद्धता/2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 644/53/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क0	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	टीच फार इंडिया एजुकेशन एण्ड रिसर्च समिति
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	एकोपोलिस इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च सावेर जिला इंदौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.एससी (बायोटेक्नोलॉजी, कैमिस्ट्री,माइक्रोबायोलॉजी (प्रथम वर्ष) बी.एससी (फार्मास्युटिकल कैमिस्ट्री, बायोटेक्नालाजी) (प्रथम वर्ष) बी.ए अर्थशास्त्र अंग्रेजी, सायकोलॉजी (प्रथम वर्ष) अतिरिक्त विषय :- अंग्रेजी, कम्प्यूटर अर्थशास्त्र (प्रथम वर्ष)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.एससी (बायोटेक्नालाजी, कैमिस्ट्री, कम्प्यूटर (द्वितीय वर्ष)) वाणिज्य, प्रबंधन, कम्प्यूटर, विज्ञान संकाय की निरन्तरता

//2//

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०कमांक ६५५/५३/आउशि/संबद्धता/२०१८

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म०प्र०।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 658 / 167 / आउशि / संबद्धता / 2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री शांतनु विद्यापीठ सोसायटी समिति
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	ऑक्सफोर्ड इन्टरनेशनल कॉलेज इंदौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरंक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.कॉम. प्लेन बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) निरन्तरता बी.एस.सी. बायो0, बी.एस.सी मैथ्स बी.एस.सी कम्प्यूटर साइंस

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनिघम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अधर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

पृ0कमांक 659 / 167 / आउशि / संबद्धता / 2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 612/204/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री हरि चैरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	रेनेसा लॉ कालेज इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरंक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.Com LLB (Third Year) 5 Years BBA. LLB (Third Year) 5 Years निरन्तरता :- एल.एल.बी, बी.ए.एलएलबी, एल.एल.एम बिजनेस लॉ

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 686/176/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	आयकॉन एजुकेशन सोसायटी इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	इन्दौर इन्स्टीट्यूट आफ लॉ राउ इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरंक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	BBA, LL B (Honours) Fourth Year निरन्तरता B.Com, BBA, BSW, MSW

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनिगम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०मांक 687 / 176 / आउशि / संबद्धता / 2018

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म0प्र0
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 546/864/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री हरि चैरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	रेनेसा इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.काम.आनर्स -प्रथम वर्ष
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.सी.ए.-तृतीय वर्ष निरन्तरता :- बी.कॉम, बी.एससी, बी.बी.ए

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिचय 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

//2//

पृ0कमांक 047/864/आउशि/संबद्धता/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 648/213/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	अक्षय एकेडमी इन्दौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अक्षय एकेडमी कॉलेज इन्दौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरंक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.A L.L.B (Honours)(Fourth Year) निरन्तरता B.Com Plain (Computer,FT,Tax) B.Sc. (Bio,Mathematics, Computer Science) B.B.A M.Com MSW B.A L.L.B (Honours)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(~~डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया~~)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 650/1094/आउशि/संबद्धता/2016 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस इंदौर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस इंदौर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरंक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.Sc (Second Year) Physics, Mathematics, Computer Science B.Com Plain (Second Year) Additional Subject : Computer Application B.C.A (Second Year) B.B.A (Second Year)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जयदीप चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0कमांक 651/1094/आउशि/संबद्धता/2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी)
म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29/01/2018

क्रमांक 638/587/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	स्व० गुलाब बाई यादव स्मृति ट्रस्ट बोरावाँ खरगोन
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	सुभाष यादव मेमोरियल डिग्री कालेज बोरावाँ खरगोन
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	B.B.A (First Year) B.A (First Year) Hindi Literature, Economics, Sociology Add.Sub. Computer Application, Political Science B.Sc. (First Year) Zoology, Botany, Chemistry Add.Sub Biotechnology, Microbiology
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.Com (Third Year) Additional Subject : Computer Application B.Sc. (Third Year) Mathematics Add. Sub. Computer Science

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिच्छेद 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे। आपके द्वारा अधिक जमा शुल्क रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) केवल को शीर्ष संख्या 0202 शिक्षा/खेल/कला एवं संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा, 103 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा/अन्य शुल्क/सम्बद्धता शुल्क से आहरित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)

अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 668/256/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	श्री साईनाथ एज्युकेशन सोसायटी, खण्डवा
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	किशोरीलाल वर्मा मैमोरियल कॉलेज पंधाना खण्डवा
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	निरक
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.Sc (Third Year) Additional Subject : Horticulure निरन्तरता B.A, B.Com, PGDCA, B.Sc

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनिियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(~~डॉ०~~ जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०मांक 669 / 256 / आउशि / संबद्धता / 2018

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म०प्र०
3. वि०क०अ० सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म०प्र०
4. वि०क०अ०, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, एस.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खण्डवा (अग्रणी) म०प्र०.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश ।
9. वि०क०अ० (आई०टी०सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 640/57/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कम्पनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनके नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. कम्पनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	कम्पनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	लिबरल एजुकेशनल माइनोंरिटी ट्रस्ट धार
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	एस.आई.सी कालेज धार

4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	बी.कॉम प्लेन (प्रथम वर्ष) अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टैक्सेशन बी.बी.ए (प्रथम वर्ष) बी.एससो. (भौतिक रसायन गणित) (प्रथम वर्ष) अतिरिक्त विषय बायोटेक्नॉलाजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस एल.एल.बी. (प्रथम वर्ष) (तीन वर्षीय) बी.ए.एल.एल.बी. (प्रथम वर्ष) (पांच वर्षीय) बी.एस.डब्ल्यू (प्रथम वर्ष) पी.जी.डी.सी.ए (प्रथम वर्ष)
5	अमान्य पाठ्यक्रम	पी.जी.डी.सी.ए

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिचय 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये।

अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)

अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

पृ0कमांक 641/57/आउशि/संबद्धता/2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन,भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

.....
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

क्रमांक 654/213/आउशि/संबद्धता/2018 - महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं /समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "ऑनलाइन" प्रस्तुत आवेदन पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 7.12.2017 तथा विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15.12.2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारम्भ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

सरल क्र०	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
2	समिति का नाम	यश शिक्षा संस्थान एवं ग्रामीण विकास समिति, बदनावर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	यश कॉलेज आफ एज्युकेशन, बदनावर
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	M.Com Previous
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	B.A Second Year Computer Application निरन्तरता B.Ed, M.Ed, B.Sc (Bio) B.Sc.(CS)B.Com, B.A(CA)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परिणियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाये। अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ० जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पु0कमांक 655/267/आउशि/संबद्धता/2018

भोपाल, दिनांक : 29.1.2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0
3. वि0क0अ0 सह आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन, भोपाल, म0प्र0
4. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार (अग्रणी) म0प्र0.
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. वि0क0अ0 (आई0टी0सैल) उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश